

न्यायालय, श्रीमती बबली कुमारी, कार्यपालक दण्डाधिकारी, बुण्डू(राँची)

आदेश पत्रक

वाद सं०-.....०५...../20.1१.....

धारा-107 द०प्र०सं०

तरुण कुमारी वगैरह बनाम श्रीकट उखर मरुती वगैरह


आदेश की क्रम सं० एवं तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई एवं टिप्पणी तारीख सहित
----------------------------	---------------------------------	---


अभिलेख सं०-एम.....०५...../20.1१....., में द०प्र०सं० की धारा-107 के तहत थाना प्रभारी सोनारातु के अप्राथमिकी सं०- ०२/११ दिनांक- 27.01.1१ के द्वारा प्राप्त पुलिस प्रतिवेदन/आवेदन से सूचना मिली है कि सोनारातु काण्ड सं० 05/११ दिनांक 24.01.1१ धारा 341/323/504/506/34 भा० द०वि० एवं काण्ड सं० 06/११ दिनांक 25-01.1१ धारा 147/341/323/504/427/34 भा० द०वि० को लेकर उभय पक्ष में तनाव है।

जिससे संभावना है कि परिशांति भंग होगी या लोक परिशांति क्षुब्ध होगी या उभय पक्ष/विपक्षी कोई ऐसा असंतोषकारी कार्य करेंगे जिससे परिशांति भंग हो जाएगी या लोक परिशांति क्षुब्ध हो जाएगी।

अतः मैं बबली कुमारी, कार्यपालक दण्डाधिकारी, बुण्डू (राँची) उक्त पुलिस प्रतिवेदन से संतुष्ट होकर उभय पक्ष/द्वितीय पक्ष के विरुद्ध द०प्र०सं० की धारा-107 के अन्तर्गत कार्यवाही आरंभ करती हूँ। उभय पक्ष/द्वितीय पक्ष के विरुद्ध सूचना निर्गत करें कि वे कारण दर्शित करें कि उन्हें एक वर्ष तक परिशांति कायम रखने के लिए उससे/उनसे प्रत्येक को 1000(एक हजार) रू० का बन्ध पत्र उसी राशि के दो जमानतदारों के साथ राशि दाखिल करने हेतु आदेश क्यों नहीं दिया जाय।

अभिलेख तिथि 25/02/1१ को उपस्थापित करें।
लेखापित एवं संशोधित।


कार्यपालक दण्डाधिकारी,
बुण्डू (राँची)।


कार्यपालक दण्डाधिकारी,
बुण्डू (राँची)।

आदेश की क्रम सं० एवं तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	कार्य तारीख
----------------------------	---------------------------------	----------------

द्वे आगली तिथि की मांग की गई । दिनांक 27-09-19 को रखे ।

16/9/19

27-09-19

आमलैरवा उपस्थापित । प्रथम पल अधिकतम हाजरी दिताप पल क्रमांक 01 उपस्थित अन्य अधिकतम हाजरी । प्रथम पल शवाही द्वे उनके अधिकतम हाजरी आगली तिथि की मांग की गई । दिनांक 18-10-19 को रखे ।

18/10/19

18-10-19


आमलैरवा उपस्थापित । प्रथम पल अधिकतम हाजरी । दिताप पल क्रमांक 01 उपस्थित अन्य अधिकतम हाजरी । उक्त वाद के 6 (छः) माह की अवधि पूजी है इसी द्वे अर्थात् वाद कालबाधित है


आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर की गई कार्रवाई एवं टिप्पणी
तारीख सहित

क्रमांक की क्रम सं० एवं
तारीख

जाया है
अतः वाद में जमानत की कार्रवाई
बन्द की जाती है
लेखापत्र एवं संशोधित


18/10/19
कार्यपालक दण्डाधिकारी
बुध (रांची) -


18/10/19
कार्यपालक दण्डाधिकारी
बुध (रांची)